


श्री गुरुदेव

27/11/24 - आज पत्रावली पेश हुई। याथाव-
 याथावकील उपेक्षा नहीं। याथावकील को
 न्यायालय में कर-2 आवान दिलाई गई
 किन्तु उपेक्षा नहीं। याथावकील में अन्तिम
 आवान सायं 5:30 बजे दिलाई गई।
 कोर्ट उपस्थित नहीं आया। याथावकील
 उपेक्षा नहीं। अतः याथावकील को यां पत्र 212
 RTA अधिनियम द्वारा अधिनियम में शामिल
 किया जाता है पत्रावली नश्वर (न) कम है
 का बाह्य तकनीकी मूल्य का के साथ में कम है।


 सहायक कलक्टर
 अलवर